



प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक- डब्लू० एम०- II/ परिवीक्षा अवधि विस्तार/2022-23/45
दिनांक- 21/07/2022

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार, एनेक्सर- ए में अंकित प्रमंडलीय लेखाकारों (प्रशिक्षु) को सूचित किया जाता है कि वे दो (02) वर्षों की परिवीक्षाधीन अवधि या तो समाप्त कर चुके हैं या करने वाले हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) खंड- 1 की कंडिका 7.5 के अनुसार, "प्रमंडलीय लेखाकारों के संवर्ग में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो (02) वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।"


मुख्यालय के पत्र संख्या 1957- स्टाफ (नियुक्ति- II)/ 64- 2015/ भोल०- II, दिनांक- 08.12.2015 के अनुसार, "परिवीक्षा के मामले में भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि को सामान्य परिवीक्षा अवधि के समान अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यानि कुल परिवीक्षा अवधि को चार (04) वर्षों से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।"

अतः एतद द्वारा सभी संबन्धित को निर्देश दिया जाता है कि वे आगे के एक (01) वर्ष के लिए दिनांक- 26/07/2022 तक इस कार्यालय को अपना अनुरोध पत्र समर्पित करें।

ह०
उप महालेखाकार (कार्य)


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) बिहार, पटना का सचिवालय,
2. उप महालेखाकार (कार्य) का सचिवालय,
3. सूचना पट्ट।


वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना

ANNEXURE- "A"

Sl.No.	Name of candidate	Post	Date of Joining	Ending date of two years of probation
1.	RAKESH MITTAL	DA(P)	19.06.2020	18.06.2022
2.	NABENDU KUMAR VATS	DA(P)	20.06.2020	19.06.2022
3.	SANDARBH KUMAR SINGH	DA(P)	25.06.2020	24.06.2022
4.	NIRANJAN KUMAR	DA(P)	25.06.2020	24.06.2022
5.	KSHITIJ VAIBHAV	DA(P)	29/06/2020	28/06/2022
6.	SAURABH PANDEY	DA(P)	30.06.2020	29.06.2022
7.	VIVEK SINGH CHHILLAR	DA(P)	01.07.2020	30.06.2022
8.	MAHESH KUMAR MEENA	DA(P)	30.09.2020	29.09.2022


Sr. Accounts Officer
Bihar, Patna